/.

मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित,
विपणन विभाग मुख्यालय,
प्रथम तल, पंचानन भवन,भोपाल

क्रमांकः लउनि/SC/ST HUB/2017-18/ 26 भोपाल, दिनांक : 14.03.2018

परिपत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों की सार्वजनिक क्रय नीति के अंतर्गत प्रभावी भागीदारी हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब" (NSSH) योजना लागू की गई है। मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 2066/2017/अ-तेहत्तर दिनांक 29.11.2017 से म.प्र. लघु उद्योग निगम को नेशनल एस.सी./एस.टी. हब (NSSH) योजना के अन्तर्गत नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियो का क्रियान्वयन किया जाना है :-

(1) **एग्जिबिशन/ट्रेड फेयर** :-अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा निर्मित किये जा रहे विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को देश-विदेश में प्रदर्शित करने के लिए एग्जिबिशन/ट्रेड फेयर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय एवं सेवाओं का बेहतर विपणन करने के संबंध में जानकारी एवं सहयोग मिल सके। इस कम्पोनेंट के अन्तर्गत प्रदेश, देश एवं विदेश में होने वाले एग्जिबिशन/ट्रेड फेयर में एस.सी./एस.टी. उद्यमियों की भागीदारी की जावेगी।

इसके अतिरिक्त देश में विभिन्न औद्योगिक तकनीक, प्रबंधन, वित्त, विपणन, उन्नयन, गुणवत्ता, पैकेजिंग, आयात-निर्यात, उत्पाद प्रमाणन, नवीनतम मशीनरी, बायर्स सेलर्स मीट इत्यादि से संबंधित वर्कशॉप/सेमीनार/अवेयरनेस केम्पेन में भी एस.सी./एस.टी. उद्यमियों की भागीदारी यथासंभव सुनिश्चित की जावेगी, जिससे उन्हें उद्यम विकास के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। इस संबंध में प्रदेश की संबंधित शासकीय विभागों/संस्थाओं, औद्योगिक संघों, देश के औद्योगिक फेडरेशन/ इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन से जानकारी प्राप्त कर एवं समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त आई.टी.पी.ओ., ई.पी.सी.एच., एन.एस.आई.सी. इत्यादि से एग्जीबिशन/फेयर कैलेण्डर प्राप्त कर सेक्टर वाईस उद्यमियों की भागीदारी कराई जावेगी।

(2) **वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम** :- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा निर्मित किये जा रहे विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदेश के विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा किये जाने वाले क्रय की प्रक्रिया के अन्तर्गत उनका पंजीयन कराने एवं डेटाबेस तैयार किया जावेगा। इसके अन्तर्गत वेंडर डेवलपमेंट मीट आयोजित करना, जिससे वे अपने उत्पाद एवं सेवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेहतर कर सकें एवं शासकीय क्रय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकें। इस कम्पोनेंट के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रस्तावित है :-

1. Revamping /redesigning of www.mpvdp.in for specific features to capture details of SC/ST entrepreneurs.
2. Sector specific B2B conferences/workshops for SC/ST units.
3. On boarding of an additional 750 SC/ST entrepreneurs /MSMEs in the vender development program.

निरन्तर—2—

4. Maximise registration on GeM portal for SC/STs.
5. Empanelment of consultants /institutions for certifications etc and hand holding of SC/ST units.

(3) **<u>वर्कशॉप/सेमीनार/अवेयरनेस केम्पेन</u>** :—अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा निर्मित किये जा रहे विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को और बेहतर करने एवं इसके समग्र विकास के उद्‌देश्य से उन्हें नवीनतम तकनीकी एवं उत्पाद उन्नयन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने एवं इस दिशा में उन्हें वांछित सहयोग मिल सके, इसके लिए प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उद्यमियों की उपयोगिता अनुसार वर्कशॉप/सेमीनार/अवेयरनेस केम्पेन आयोजित करना। इस कम्पोनेंट के अन्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एस.सी./एस.टी. उद्यमियों में से उत्पादवार एवं समस्त व्यवसायिक उन्नयन संबंधी अवेयरनेस केम्पेन प्रदेश के चयनित स्थानों पर किया जावेगा। वर्कशॉप/सेमीनार एस.सी./एस.टी. उद्यमियों के डेटाबेस के अनुरूप चयनित कर ग्रुपवाईज पृथक–पृथक स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है।

(4) **<u>स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स</u>** :— इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा निर्मित किये जा रहे विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अनुरूप विकसित/स्थापित करने के उद्‌देश्य से कार्यकुशलता में नवीनता लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलाने हेतु स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किये जावेगे। इस कम्पोनेंट के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जावेगा :—

(1) उनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि एवं उद्यमों द्वारा संबंधित नवीन तकनीकी ज्ञान तथा नवीन उत्पाद के संबंध में प्रशिक्षण।

(2) उद्यमों की क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण सुविधा एवं इसके स्त्रोतों की समुचित जानकारी संबंधी प्रशिक्षण।

(3) केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अधिरोपित कर (टैक्स) एवं कर निर्धारण से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण।

(4) कार्यरत् एवं स्थापित उद्यमों में उपयुक्त एवं आवश्यक मानव संसाधन की उपयोगिता से संबंधित प्रशिक्षण।

(5) कार्यरत् एवं स्थापित उद्यमों के प्रचालन में समुचित एवं सकारात्मक वित्तीय प्रबंधन के विषय पर प्रशिक्षण।

(6) उद्यमियों के द्वारा निर्मित उत्पादों के विकय हेतु बी–टू–बी प्रकिया एवं इससे संबंधित व्यवस्था का समुचित ज्ञान प्राप्त हो, इससे संबंधित प्रशिक्षण।

(7) उद्यम के संबंध में केन्द्र/राज्य शासन से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक अनुमतियां/लायसेंस जैसेः बी.आय.एस., एफ.पी.ओ., ड्रग लाईसेंस आदि के संबंध में जानकारी एवं प्रशिक्षण ।

(8) उद्यम के अन्तर्गत श्रम कानून की जानकारी एवं समुचित ज्ञान एवं उपयोगिता बावत् प्रशिक्षण।

(9) Ease of Doing Business की अवधारणा संबंधी प्रशिक्षण।

निरन्तर—3—

(10) निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम प्रशिक्षण आयोजित किया जाना प्रस्तावित है :–

1. CIPET, Bhopal	2. IIM, Indore	3. CRISP, Bhopal
4. MPCON, Bhopal	5.CEDMAP, Bhopal	6. Indian Institute of Hotel Management
7. NIFT, Bhopal	8. FDDI	9. Other suitable institutions

5. उक्त सभी कम्पोनेंट्स के तहत योजना के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा रूपये 200.00 लाख मध्य प्रदेश की नोडल एजेंसी (म.प्र. लघु उद्योग निगम) को दिया गया है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को उनके उपलब्धता प्रतिशत के अनुसार लाभान्वयन की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

6. नेशनल एस.सी./एस.टी. हब के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन, क्षमता में वृद्धि, शासकीय उपार्जन में प्रभावी भागीदारी इत्यादि के लिए एस.सी./एस.टी. उद्यमियों को सहयोग प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक संघों, शासकीय एजेंसियों इत्यादि के माध्यम से सहयोग लिया जाकर कियान्वित किया जावेगा।

7. नेशनल एस.सी./एस.टी. हब के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाईट **www.scsthub.in** का प्रारंभ किया गया है, जिसमें नवीन एस.सी./एस.टी. उद्यमियों द्वारा पंजीयन कराया जा सकेगा इसके अतिरिक्त राज्य शासन के पोर्टल **https://mpmsme.gov.in** पर भी जानकारी रहेगी।

(राजेन्द्र गार्गव),
नोडल अधिकारी,
एस.सी./एस.टी. हब

क्रमांक: लउनि/SC/ST HUB/2017–18/ — भोपाल, दिनांक : 14.03.2018

प्रतिलिपि :–

1. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, (समस्त विभाग) .... म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, एम.एस.एम.ई., भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
5. महाप्रबंधक, एन.एस.आई.सी., नई दिल्ली
6. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल।
7. श्री व्ही.सी. दुबे, उप मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल।
8. श्री ए.के. चौरे, महाप्रबंधक (समन्वय) म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल।

नोडल अधिकारी,
एस.सी./एस.टी. हब